# POLICE COMMISSIONERATE

# GAUTAM BUDH NAGAR

## सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 05.03.2023

**1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा, ताला तोडकर घरो मे चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 किलो 200 ग्राम बिजली कॉपर एवं चोरी करने के उपकरण बरामद।**

दिनांक 05.03.2023 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा ताला तोडकर घरों में चोरी करने वाले अभियुक्तों 1. नवल पुत्र शांति स्वरूप निवासी ग्राम रहाबुद्दीन नगर शेखूपुर फाटक थाना कोतवाली बंदायू जिला बंदायू हाल निवासी लेजर पार्क झुग्गी झोपडी थाना बिसरख 2. संतोष पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम औरगांबाद थाना हरीदपुर जिला बरेली वर्तमान पता लेजर पार्क झुग्गी झोपडी थाना बिसरख 3. कल्याण पुत्र भगवान दास निवासी गुलडिया थाना दातागंज जिला बंदायू हाल पता लेजर पार्क झुग्गी झोपडी थाना बिसरख को सेक्टर 3 के तरफ जाने वाले बंद पडे रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 09 किलो 200 ग्राम बिजली कॉपर, एक नुकीला छोटा आरी का ब्लेड धारधार, एक छोटी पत्ती तार काटने वाली आलानकब उपकरण बरामद।

**अभियुक्तों का विवरणः**

1. नवल पुत्र शांति स्वरूप निवासी ग्राम रहाबुद्दीन नगर शेखूपुर फाटक थाना कोतवाली बंदायू जिला बंदायू हाल निवासी लेजर पार्क झुग्गी झोपडी थाना बिसरख।

2. संतोष पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम औरगांबाद थाना हरीदपुर जिला बरेली हाल पता लेजर पार्क झुग्गी झोपडी थाना बिसरख

3. कल्याण पुत्र भगवान दास निवासी गुलडिया थाना दातागंज जिला बंदायू हाल पता लेजर पार्क झुग्गी झोपडी थाना बिसरख

**पंजीकृत अभियोग का विवरणः**

मु0अ0सं0 175/2023 धारा 380/457/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी का विवरणः**

1. 09 किलो 200 ग्राम बिजली कॉपर,

2. एक नुकीला छोटा आरी का ब्लेड धारधार,

3. एक छोटी पत्ती तार काटने वाली आलानकब उपकरण

**2-थाना सेक्टर 20, नोएडा पुलिस द्वारा, ऑनलाइन चैटिंग एप के माध्यम से महिलाओं से दोस्ती कर कस्टम के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 06 शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 03 लेपटॉप, 17 मोबाइल, 01 इन्टरनेट डोंगल, 40,860/- रूपये नगद, 03 पासपोर्ट व एक स्कूटी बरामद।**

दिनांक 04.03.2023 को साईबर/आईटी सेल एवं थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये ऑनलाइन चैटिंग ऐप के माध्यम से लोगों से दोस्ती कर कस्टम के नाम पर ठगी करने वाले 06 शातिर ठग (1) ओकोली स्टीफन पुत्र ओकोली मूल निवासी डेल्टा स्टेट निकट अफोर मार्केट नाईजीरिया हाल पता एफ-79 सुपर टैक इको बिलेज गोल्फ कन्ट्री थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर (2) ओकोसिन्धी माईकल पुत्र ओकोसिन्धी मूल निवासी डेल्टा स्टेट निकट अफोर मार्केट नाईजीरिया हाल पता एफ-79 सुपर टैक इको बिलेज गोल्फ कन्ट्री थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर (3) उमादी रोलेण्ड पुत्र उमादी मूल निवासी डेल्टा स्टेट निकट अफोर मार्केट नाईजीरिया हाल पता एफ-79 सुपर टैक इको बिलेज गोल्फ कन्ट्री थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर (4) ओकोली डेनियल पुत्र ओकोली मूल निवासी डेल्टा स्टेट निकट कटीग्रा टेम्पल नाईजीरिया हाल पता एफ-79 सुपर टैक इको बिलेज गोल्फ कन्ट्री थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर (5) ओकोली प्रोसपर पुत्र ओकोली मूल निवासी डेल्टा स्टेट निकट अफोर मार्केट नाईजीरिया हाल पता एफ-79 सुपर टैक इको विलेज गोल्फ कन्ट्री थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर (6) कुन्जंगमो पत्नि हैनरी निवासी ग्राम किन्द्रा रपतेन ट्रोन्सा स्टेट थाना ट्रोन्सा भूटान को एफ-79 सूपरटेक इको विलेज थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 लेपटॉप, 17 मोबाइल, 01 इन्टरनेट डोगल, 40,860/- रूपये, 03 पासपोर्ट व एक स्कूटी यामहा फसीनो यूपी 16 बीके 8421 बरामद हुए है।

**अपराध करने का तरीका व प्रमुख तथ्यः-**

1. अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है यह मूल रूप से नाइजीरिया देश के निवासी है। जो भारत में वर्ष 2021 में पढाई एवं इलाज के वीज़ा पर आए थे, इनके वीजा की समय अवधि 2021 के 06 माह पश्चात समाप्त हो चुकी थी । समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी यह आरोपी अपने मूल देश वापस नहीं गए और उक्त संगठित अपराध कारित करने लगे ।

2. आरोपियों द्वारा विभिन्न डेटिंग एप जैसे TINDER, BUMBLE, OK CUPID, BADOO, HINGE आदि इस्तेमाल कर अपनी फेक प्रोफाइल तैयार की जाती है और अपने आप को प्लास्टिक सर्जन एवं स्वयं को भारत का मूल निवासी बताकर महिलाओं से मित्रता कर लेते हैं। इसके पश्चात योजना के अनुसार अपराधी द्वारा स्वंय को भारत आने पर एयरपोर्ट पर स्वयं को कस्टम चेंकिग के दौरान विदेशी मुद्रा लाने के नाम पर पकडे जाने की फर्जी कहानी तैयार कर लेते है। इसके बाद इन्ही के गिरोह की महिला अपराधी द्वारा कस्टम ऑफिसर बनकर अपने जाल में फंसाई गई महिला को कस्टम द्वारा पकडे गए व्यक्ति को छुडाने के नाम पर कस्टम डयूटी के रूप में रूपये लेकर उनसे पैसों की ठगी की जाती है।

3. आरोपियों द्वारा महिलाओं के साथ उक्त तरीके के अपराधों को पिछले करीब 07-08 वर्षों से लगातार किया जा रहा है । इनके द्वारा सैकडों की संख्या में महिलाओं को टारगेट कर अपराध कारित किये गए है ।

4. आरोपियों द्वारा भारतीय महिलाओं के अतिरिक्त विभिन्न देशों जैसे पुर्तगाल, स्वीडन, नीदरलैंड आदि देशों की महिलाओं के साथ मित्रता कर उनके साथ इसी प्रकार की ठगी की जा रही थी ।

5. आरोपियों द्वारा ठगी से प्राप्त किए गए पैसों को विभिन्न फर्जी खातों में ट्रान्सफर कर, अपने देश नाईजीरिया की करेन्सी "नायरा" में परिवर्तित कर अपने शौक पूरे किये जाते है ।

6. अपराधियों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे बैंक खातों में स्टेट बैंक में करीब 01 लाख 25 रूपये की धनराशी को फ्रीज कराया गया है ।

**अभियुक्तों का विवरणः**

(1) ओकोली स्टीफन पुत्र ओकोली मूल निवासी डेल्टा स्टेट निकट अफोर मार्केट नाईजीरिया हाल पता एफ-79 सुपर टैक इको बिलेज गोल्फ कन्ट्री थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर

(2) ओकोसिन्धी माईकल पुत्र ओकोसिन्धी मूल निवासी डेल्टा स्टेट निकट अफोर मार्केट नाईजीरिया हाल पता एफ-79 सुपर टैक इको बिलेज गोल्फ कन्ट्री थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर

(3) उमादी रोलेण्ड पुत्र उमादी मूल निवासी डेल्टा स्टेट निकट अफोर मार्केट नाईजीरिया हाल पता एफ-79 सुपर टैक इको बिलेज गोल्फ कन्ट्री थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर

(4) ओकोली डेनियल पुत्र ओकोली मूल निवासी डेल्टा स्टेट निकट कटीग्रा टेम्पल नाईजीरिया हाल पता एफ-79 सुपर टैक इको बिलेज गोल्फ कन्ट्री थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर

(5) ओकोली प्रोसपर पुत्र ओकोली मूल निवासी डेल्टा स्टेट निकट अफोर मार्केट नाईजीरिया हाल पता एफ-79 सुपर टैक इको बिलेज गोल्फ कन्ट्री थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर

(6) कुन्जंगमो पत्नि हैनरी निवासी ग्राम किन्द्रा रपतेन ट्रोन्सा स्टेट थाना ट्रोन्सा भूटान

**पंजीकृत अभियोग का विवरणः**

मु0अ0सं0 89/23 धारा 420 भादवि व 66डी IT ACT थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर

**बरामदगी का विवरणः**

1. 03 लैप टॉप

2. 17 मोबाईल फोन(विभिन्न कम्पनी)

3. 01 इन्टरनेट डोंगल

4. 40,860/- रूपये नगद

5. 03 पासपोर्ट

6. 01 स्कूटी यामहा फसीनो संख्या यूपी 16 बीके 842(ठगी से प्राप्त पैसों से क्रय की गई)

7. अपराधियों के एसबीआइ खातों में करीब 1 लाख 25 हजार रू0 की धनराशि फ्रीज करायी गई है।